148

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

R 4085 - 2 - 16

कल्लनबाई पत्नि हरसेवक कुम्हार
निवासी ग्राम श्रीनगर तह. व जिला टीकमगढ ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

NOV 2016

1. लक्ष्मन तनय जानकी अहिरवार
2. मकुन्दा तनय जानकी अहिरवार
3. कच्चू तनय परिक्षत अहिरवार

निवासी ग्राम श्रीनगर तह. व जिला टीकमगढ ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक तह. व जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/06/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

107
29.11.16

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र 3 द्वारा भूमि खसरा क्र 75/9/1 रकवा 1.214 स्थित ग्राम श्रीनगर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता सरहदी कृषक है तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को ना तो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया और ना ही सीमाकंन कार्यवाही की कोई सूचना दी गयी। मौका स्थल पर कोई

(नितेन्द्र सिंघई
एड०
94251-71223,
7000853503)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4085–एक/2016 जिला–टीकमगढ़

कल्लनबाई विरूद्ध लक्ष्मन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील व जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 115/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 7/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	